

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज-1A, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई - 600002, तमिलनाडू, तथा शाखा कार्यालय-होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम जयपुर प्राधिकृत अधिकारी श्री संदीप सिंह।

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकर सिंह पुत्र श्री वरदी सिंह निवासी 31/केएच, गामडी की नाल, तहसील कुंभलगढ जिला राजसमंद (राजस्थान)/धनलक्ष्मी रेस्टोरेंट, केलवाड़ा बस स्टेण्ड, तहसील कुंभलगढ जिला राजसमंद — ऋणी
2. श्रीमति कमला पत्नी श्री शंकर सिंह निवासी 31/केएच, गामडी की नाल, तहसील कुंभलगढ जिला राजसमंद — सहऋणी

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 58/2022


क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 19.04.2022</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर ने दिनांक: 02.03.2022 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 27.04.2019 को ऋण अनुबंध निष्पादित कर खाता संख्या SERJMND0234050 6,95,000/- अक्षरे छः लाख पच्चाणवे हजार रुपये का ऋण प्राप्त किया था विपक्षी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुनः भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी निर्माणशुदा अचल सम्पत्तियों को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में साम्यिक बंधक किया था। बंधक सम्पत्ति का विवरण: श्री शंकर सिंह पुत्र श्री वरदी सिंह की अचल संपत्ति जो कि मकान नं. 31/के एच, ग्राम गामडी, ग्राम पंचायत तलादरी, पंचायत समिति कुंभलगढ में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1056 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :- श्री स्वरूप सिंह पुत्र श्री काना का मकान, पश्चिम :- रास्ता और नानसिंह का मकान, उत्तर :- श्री रूपसिंह पुत्र श्री वजासिंह का मकान, दक्षिण :- श्री</p>	



गणेश सिंह पुत्र श्री पन्ना की झोपड़ी है, विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 03.11.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 03.11.2021 को विपक्षीगण के खाते में बकाया राशि 10,68,411/- अक्षरे दस लाख अडसठ हजार चार सौ ग्यारह रूपये शेष व देय निकलते हैं। दिनांक 03.11.2021 से आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था ने दिनांक 08.11.2021 को जारी मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत रजि. डाक से दिनांक 16.11.2022, 17.11.2022 व 18.11.2021 को डिमाण्ड नोटिस विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को दिनांक 20.11.2021, 22.11.2021, 23.11.2021 को होने के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया है। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी उक्त वर्णित सिक्क्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 08.11.2021 को जारी किया गया था। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पति का विवरण :- श्री शंकर सिंह पुत्र श्री वरदी सिंह की अचल संपत्ति जो कि मकान नं. 31/के एच, ग्राम गामड़ी, ग्राम पंचायत तलादरी, पंचायत समिति कुंभलगढ में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1056 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि पूर्व :- श्री स्वरूप सिंह पुत्र श्री काना का मकान, पश्चिम :- रास्ता और नानसिंह का मकान, उत्तर :- श्री रूपसिंह पुत्र श्री वजासिंह का मकान, दक्षिण : श्री गणेश सिंह



पुत्र श्री पन्ना की झोपड़ी है।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाबता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाबता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द